

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या : 1117

28 , 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अभिघात केन्द्र

1117. श्री सी०पी० जोशी:
श्री रामदास तडस:
श्री अनुराग शमा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोले गए अभिघात कद्रों का महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन राजमार्गों पर 2015-16 से 2018-19 तक कितने अभिघात केन्द्र खोले जाने का विचार है और उपरोक्त में से कितना काय पूरा हो चुका है/अपूर्ण है और इसके कब तक पूरा किए जाने को संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात कद्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (घ) क्या झांसी शहर के अभिघात केन्द्र में बुनियादी सावजनिक सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (श्री श्रेष्ठ)

(क): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा परिचया सुविधा कद्र विकसित करने के लिए क्षमता निमाण' के अंतर्गत गत तीन वर्षों (वर्ष 2016-17 से 2018-19) के दौरान 45 ट्रामा परिचया सुविधा कद्रों (टीसीएफ) को स्थापना हेतु अनुमोदन दिया गया था, जिसका राज्यवार विवरण अनुलग्नक पर है।

गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए किसी टीसीएफ का अनुमोदन नहीं किया गया था। हालांकि 11वां पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में 6 टीसीएफ और राजस्थान में 10 टीसीएफ को स्थापना का अनुमोदन किया गया था।

(ख): 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा परिचया सुविधा कद्र विकसित करने के लिए क्षमता निमाण' कार्यक्रम के अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 को अवधि के दौरान 55 टीसीएफ का अनुमोदन किया गया था।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के राज्य स्तरीय/ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 12 ट्रामा परिचया सुविधा कद्रों में निमाण काय पूरा कर लिया गया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकारों से यह शेष काय पूरा कराए जाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि सभी टीसीएफों में प्रचालन काय माच, 2020 तक शुरू किया जा सके।

(ग): 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा परिचया सुविधा कद्र विकसित करने के लिए क्षमता निमाण' नामक इस कार्यक्रम के तहत मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य परिचया सुविधा कद्रों को अवसंरचना, उपकरण और जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्तर पर उन्नयन करके प्रत्येक 100 कि.मी. के अंतराल पर एक नामित टीसीएफ को स्थापना किए जाने को परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ): राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मेडिकल कॉलेज, झांसी में ट्रामा कद्र में मूलभूत सावजनिक सुविधाएं चालू हैं।

